

Bank A/C No. Society A/C No. Date of Birth Mobile No. PAN No. GPF/CPF NPS

दिल्ली यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी लि०

छात्रा मार्ग, दिल्ली-110007

ऋण की मंजूरी के लिए प्रार्थना-पत्र

1. सदस्य का नाम पिता/पति का नाम
2. पद विभाग/कार्यालय
3. घर का पता
4. विश्वविद्यालय में नियुक्ति की तारीख
5. सोसाइटी में प्रवेश की तारीख
6. सदस्य के शेयरों की संख्या
7. सोसाइटी से पिछली बार लिए गए ऋण की रकम और तारीख ₹
8. सोसाइटी की वर्तमान देनदारी ₹
9. विश्वविद्यालय के पास जमा प्रोविडेन्ट फण्ड की रकम ₹
10. प्रोविडेन्ट फण्ड से लिए गए ऋण की रकम और तारीख ₹
11. प्रोविडेन्ट फण्ड से लिए गए ऋण की बाकाया रकम ₹
12. अन्य किसी सोसाइटी/बैंक/को.आ. बैंक/ से लिए गए ऋण की रकम ₹
13. कुल वर्तमान वेतन ₹
14. पिछले महीने (सब कटौतियों के बाद) प्राप्त किए गए वेतन की कुल रकम ₹
15. अगले महीने (सब कटौतियों के बाद) प्राप्त होने वाले वेतन की रकम ₹
16. मांगे जा रहे ऋण की रकम ₹
17. ऋण किस काम के लिये लिया जा रहा है

इस पत्र द्वारा (1) वह ऋण मासिक किश्तों में चुका देने, (2) पीछे लिखित जमानती और (3) सोसाइटी द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के पास भेजी गई देनदारियों की मासिक सूची के अनुसार पूरी देय रकम प्रति मास अपने वेतन से कटवा देने के लिए अपनी सहमति प्रकट करता हूँ।

प्रार्थी एतद् द्वारा सत्य निष्ठापूर्वक यह पुष्टि करता है कि जहां तक मुझे जानकारी है ऊपर लिखित तथ्य सही हैं।

दिनांक

प्रार्थी के हस्ताक्षर

For Office Use		
1. Loan Sanctioned		₹
i) Balance of Loan, if any	₹	
ii) Additional Share Purchased	₹	
iii) Interest on Loan Recoverable	₹	
Total (i to iii)		₹
2. Net Amount Payable		₹

Signature of Secretary

Accountant

हम इस पत्र द्वारा पृष्ठ 1 पर उल्लेखित ऋण के लिए जमानती बनना स्वीकार करते हैं और इस ऋण की वसूली के लिए किए जाने वाले व्यय तथा देय ब्याज सहित इस ऋण की अदायगी का भार संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से भी अपने ऊपर लेते हैं। और हम अपने नियोक्ता को यह अधिकार देते हैं कि सोसाइटी का ऋणी से ऋण वसूल करने में कठिनाई होने की अवस्था में और सोसाइटी की मांग पर उस ऋण का देय, ब्याज तथा खर्च की रकम हमारे वेतन से काट सकता है।

हम यह भी स्वीकार करते हैं कि उस दशा में भी हमारा दायित्व कम अथवा समाप्त नहीं होगा, यदि सोसाइटी ऋण लेने वाले को कुछ समय अथवा अनुग्रह प्रदान कर दे अथवा उसके साथ ऐसा कोई करार या समझौता कर ले जिससे इस करार के अधीन सोसाइटी को प्राप्त अधिकारों तथा उपचारों में कानून परिवर्तन द्वारा अथवा किसी और तरह फेर बदल हो जाए।

(1) जमानती के हस्ताक्षर
पूरा नाम
पिता / पति का नाम
कार्यालय
मोबाईल नं०

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

प्राप्त शेयरों की संख्या

(2) जमानती के हस्ताक्षर
पूरा नाम
पिता / पति का नाम
कार्यालय
मोबाईल नं०

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

प्राप्त शेयरों की संख्या

(3) जमानती के हस्ताक्षर
पूरा नाम
पिता / पति का नाम
कार्यालय
मोबाईल नं०

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

प्राप्त शेयरों की संख्या

(4) जमानती के हस्ताक्षर
पूरा नाम
पिता / पति का नाम
कार्यालय
मोबाईल नं०

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

प्राप्त शेयरों की संख्या

ऋण लेने वाले के हस्ताक्षर

नोट : जमानती के प्राप्त शेयरों की संख्या का भरा जाना अनिवार्य है।

दिल्ली यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी लि०

छात्रा मार्ग, दिल्ली-110007

ऋण - बाँड

मैंने (मेरा पूरा नाम है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी लि०, दिल्ली-110007 का एक सदस्य हूँ) आज सोसाइटी के उपनियमों के अधीन 10% प्रतिशत के वार्षिक व्याज पर ₹ (₹) का ऋण लिया है।

इस पत्र द्वारा मैं पूरा मूलधन इस पर देय पूरा ब्याज सहित..... मासिक किश्तों में चुका देने का वचन देता हूँ जिनमें से प्रत्येक किश्त ₹ रुपये की होगी और वह प्रत्येक महीने की 5 (पाँच) तारीख तक चुका दी जायेगी।

सोसाइटी को यह अधिकार होगा कि वह एक महीने का नोटिस देकर किसी भी समय पूरे देय ऋण की अदायगी करने के लिए कह सकती है।

मैं इस ऋण के सम्बन्ध में 4 (चार) व्यक्तियों को जमानती के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सहमत हूँ और इस बात के लिए भी सहमत हूँ कि यदि सोसाइटी की प्रबन्ध समिति ऐसा चाहेगी, तो मैं पन्द्रह दिन के अन्दर उल्लिखित जमानतियों के बदले या उसके अतिरिक्त और जमानतें प्रस्तुत कर दूंगा।

मैं इस बात के लिए सहमत हूँ कि लिए गए ऋण की रकम आज की तारीख से एक महीने के अन्दर के सम्बन्ध में खर्च कर दी जायेगी। इस मद में खर्च की जाने वाली दशा में देय ब्याज और सोसाइटी के उपनियमों के अनुसार प्रबंध-समिति द्वारा लगाए गए अतिरिक्त ब्याज सहित ऋण की पूरी रकम लौटा देने का वचन देता हूँ।

इस पत्र द्वारा मैं :-

- (1) अपने नियोक्ता को यह अधिकार देता हूँ कि देनदारियों की मासिक सूची में सोसाइटी द्वारा मेरे नाम दिखाई गई किश्तें तथा अन्य देय रकमों सोसाइटी के पास पहुंचाने के लिए प्रति मास मेरे वेतन में से काट सकता है।
- (2) अपने नियोक्ता वर्तमान और भावी को यह अधिकार देता हूँ कि यदि उक्त ऋण को चुकता कर दिये जाने से पहले मेरे जीवन काल, मे किसी भी कारण मुझे नौकरी से अलग कर दिया जाए तो उस समय वेतन, प्राविडेंट फंड, उपदान (ग्रेचुइटी) अथवा पेंशन के रूप में मुझे जो रकम लेने का अधिकार हो उसमें से वह उतनी सकम लेकर मेरे ऋण मोचन के लिए उसे सोसाइटी को अदा कर दें जो उक्त ऋण की बाकी रकम और उस पर देय ब्याज चुका देने के लिए पर्याप्त हो।
- (3) मैं अपने नियोक्ता वर्तमान और भावी को यह अधिकार देता हूँ कि यदि ऋण और उस पर देय ब्याज की पूरी रकम चुकाने से पहले मेरी मृत्यु हो जाए तो वह मुझे प्राप्त व्यय रकमों से जिनमें मेरी प्रोविडेंट फंड की रकम अथवा उस स्थिति में मुझे प्राप्त व्यय, उपदान (ग्रेचुइटी) की रकम भी शामिल है, उतनी रकम काट ले जो ऋण चुकता किए जाने की तारीख तक देय मूलधन तथा ब्याज चुका देने के लिए पर्याप्त हो और वह रकम मेरे ऋण मोचन के लिए सोसाइटी को अदा कर दें।

मैं उपर्युक्त शर्तें स्वीकार करता हूँ, और सोसाइटी की प्रबन्ध समिति ने मुझे जो ऋण देना मंजूर किया है उसकी पूरी रकम (जिसका व्यौरा नीचे दिया जा रहा है) प्राप्त कर लेने के बाद यह ऋण-बाँड लिख रहा हूँ।

ऋण लेने वाले के हस्ताक्षर

दिल्ली, तारीख

नाम

प्राप्त-चैक संख्या

पद

दिनांक ₹ केवल

कार्यालय

ऋण लेने वाले के हस्ताक्षर

(कृपया पृष्ठ उलटिए)

